

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0- 51 / 18-19

श्यामलाल पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा-छोटागोगा

-: आदेश :-

03-01-2014


वर्तमान वाद आवेदक श्यामलाल पहाड़िया, पे0-स्व0 गंगा पहाड़िया, सा0-बड़ा केरला थाना व अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत मौजा-छोटागोगा के ग्राम प्रधान बहाली हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक-410/रा0, दिनांक-11.11.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में प्रासंगिक मौजा बेचिरागी एवं बेलगान है। अतः उक्त मौजा में प्रधान की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bernal
Ad
1/10/14